परदेशीपुरा में हो रहे शादी समारोह में पहुंची पुलिस की टीम

घराती-बराती सकते में आए... बाद में ली अपराधों से बचने की सीख

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

पुलिस के जोन-2 में आने वाले दो रिहाइशी इलाके में शादी समारोह हो रहे थे। समारोह में हजारों घराती-बराती मौजूद थे। इसी बीच घनघनाती हुई पुलिस की गाड़ी पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। एक बार तो मेहमान समझे कि आयोजक ने आमंत्रित किया है। जैसे ही पुलिस की टीम कार्यक्रम में पहुंची और अपनी मंशा जताई तो भोजन करने के साथ साइबर अपराधों से बचने की सीख भी ली।

परदेशीपुरा की पालीवाल धर्मशाला और कुलकर्णी भट्‌टा में शादी समारोह चल रहा था। रात आठ बजे परदेशीपुरा पुलिस की गाड़ी धर्मशाला के सामने खड़ी हो गई। पुलिस ने आयोजक और मेहमानों को सेफ क्लिक अभियान से अवगत कराते हुए कहा कि ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इससे बचने का मूल मंत्र केवल जागरूकता ही है। वे जागरूक रहेंगे और अनजान लिंक को डाउनलोड नहीं करेंगे तो धोखाधड़ी से बच सकते हैं। मेहमानों ने पुलिस को अभियान की बधाई देते हुए कहा कि वे अन्य लोगों को भी सीख देंगे।

आकाशवाणी के श्रोताओं को दी टिप्स

इसी क्रम में क्राइम ब्रांच पुलिस लगातार आकाशवाणी के माध्यम से श्रोताओं को जागरूक करने में लगी हुई है। रविवार को पुलिस के सेफ क्लिक जनसंवाद अभियान में आकाशवाणी पर लाइव रेडियो टॉक कार्यक्रम किया गया। इसमें अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने टेलीग्राम टॉस्क बेस्ड सायबर फ्रॉड की चर्चा की। धोखाधड़ी से बचने ध्यान रखने वाली बातों को केस स्टडी के माध्यम से बताया। लाखों श्रोताओं को सायबर अपराधों से बचने के संबंध में जरूरी टिप्स देकर जागरूक करने का प्रयास किया। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के सायबर क्राइम की महत्वपूर्ण जानकारी के संबंध में इंदौर टॉक के सौजन्य से आयोजित पॉडकास्ट के जरिए भी लोगों को जागरूक किया।

विश्व कल्याण की कामना को लेकर यज्ञ में सवा लाख आहुतियां समर्पित

इंदौर। प्रयागराज महाकुंभ में श्री राम मंदिर पंचकुइयां खालसा कैंप में एक महीने से चल रहे यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। यज्ञ में तकरीबन सवा लाख आहुतियां समर्पित की गईं। पंचकुइयां पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्रीराम गोपालदास महाराज के पावन सान्निध्य में विश्व कल्याण की कामना को लेकर शिविर आयोजित हुआ, जिसमें प्रतिदिन यजमानों एवं साधु संतों ने आचार्य पंडितों की उपस्थिति में वेद मंत्रों के बीच में आहुतियां दीं। यज्ञ में सुबह 7:00 बजे से लेकर 9:00 बजे तक तो दोपहर 3:00 बजे से लेकर 5:00 बजे तक आहुतियां दी गईं। शिविर में 8 जनवरी से शुरू हुए यज्ञ की पूर्णाहुति रविवार को आचार्य पंडितों की उपस्थिति में पंचकुइयां पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर रामगोपालदास महाराज सहित अन्य साधु-संतों द्वारा की गई। यह विश्व कल्याण सुख-समृद्धि की कामना को लेकर किया गया।

अपराधों पर शिकंजा : कॉम्बिंग गश्त में 630 बदमाशों पर कार्रवाई

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

शहर में बढ़ते अपराधों को देखते हुए इन पर नियंत्रण करने पुलिस हर सप्ताह बदमाशों की धरपकड़ करती है। इसी क्रम में शनिवार-रविवार को चारों जोनों में अभियान चलाया गया। इस दौरान 1253 बदमाशों की चेकिंग कर 630 पर वैधानिक कार्रवाई की गई, जबकि ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में 181, स्थायी 43, गिरफ्तारी 91, जमानती 130 बदमाशों के वारंट जारी कर 178 को समंस जारी किए।

इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने पर 6 धारा 170 में 16, धारा 129 में 98, धारा 126 में 65 पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। 213-गुंडे, 57 नकबजनों, 39 लुटेरों, 116 चाकूबाजों, 11 ड्रग पैडलर्स, 153 निगरानीशुदा बदमाश, 34 को जिलाबदर किया। पकड़े गए बदमाशों को अपराध ना करने की हिदायत देते हुए उनसे डोजियर भी भरवाए गए।

सीने में जलन के बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मौत, केस दर्ज

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

सीने में जलन के बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी की उपचार के दौरान मौत हो गई। वे लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे।

हीरानगर पुलिस के अनुसार... गौरीनगर निवासी विजेन्द्र जादौन (55) ट्रैफिक विभाग में प्रधान आरक्षक थे। शनिवार रात 11 बजे उनके सीने के जलन होने लगी। इस पर भतीजा और पड़ोसी बापट चौराहा स्थित बारोड़ अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उन्हें एमवाय भेज दिया, जहां देर रात उनका निधन हो गया। वे इंदौर में 2015 से पदस्थ थे।

लंबे समय से थे बीमार

बीमारी के चलते उनकी अधिकांश ड्यूटी बाल विनय मंदिर के पास रहती थी। कुछ साल पहले पत्नी का निधन हो गया था। दोनों बेटियों की शादी राजस्थान में हुई है। निधन की सूचना मिलते ही रविवार दोपहर में दोनों बेटी, जमाई इंदौर आ गए। वे अपने छोटे भाई योगेन्द्रसिंह जादौन के घर रहते थे। योगेन्द्र किसी मामले में जेल में बंद है।

ट्रैफिक विभाग में उनका व्यवहार सामान्य था। ड्यूटी के दौरान अपने सहकर्मियों से भी ज्यादा बात नहीं करते थे। सूत्रों की मानें तो वे शराब पीने के आदी थे। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है।

होलकर राजवंश व शासनकाल पर स्कूली बच्चों ने लिखा निबंध

इंदौर। श्री क्षत्रिय धनगर सेवा संघ, इंदूर द्वारा देवी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी वर्ष (300वीं जयंती) पर उषा नगर स्थित महाराजा यशवंतराव स्कूल में निबंध प्रतियोगिता की गई, जिसमें 12 से 18 वर्ष के स्कूली बच्चों ने अहिल्याबाई होलकर के राजवंश व होलकर शासनकाल के इतिहास पर हिंदी व अंग्रेजी में निबंध लिखा। प्रतियोगिता में 250 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। धनगर सेवा संघ के पदाधिकारियों ने विद्यार्थियों से लोकमाता अहिल्याबाई के जीवन से सभी को प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

प्रस्ताव में कई पेंच... नई आबकारी नीति अब तक नहीं हुई घोषित

17 जगह दुकान बंद होने से नुकसान, आपसी तालमेल नहीं

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

नई आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के प्रस्ताव में अब तक कई पेंच फंसते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि नई नीति की घोषणा नहीं हो पाई, जिस तरह से आबकारी विभाग ने इस नीति का प्रस्ताव बनाया, उसमें कई खामियां नजर आ रही हैं। यदि पुरानी नीति में संशोधन होता है तो प्रस्तावित नीति को फिर से लागू करना होगा। प्रस्तावित नीति में खामी का सबसे बड़ा मसला तो 17 स्थानों की दुकानें बंद होना है। इससे होने वाले राजस्व के नुकसान का आंकलन और उसकी पूर्ति का रास्ता नहीं निकल पा रहा है। आबकारी विभाग ने पहले यह निर्णय लिया था कि सिंगल शॉप के आधार पर दुकानों का आवंटन टेंडर से किया जाएगा। फिर उसके स्थान पर समूह में दुकानें नीलाम करने का निर्णय लिया गया... यानि यहां भी पेंच आया। ठेकेदारों के मार्जिन को कम करने से शराब व्यवसायी इस प्रस्तावित आबकारी नीति से असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। जिन अफसरों ने यह प्रस्तावित नीति बनाई, उनके बारे में कहा जा रहा है कि इससे व्यवसाय से जुड़े खास वर्ग को ही लाभ होगा। नीति बनाने के लिए विभाग के फील्ड अधिकारियों से कोई चर्चा नहीं की गई, जबकि यही अधिकारी नीति का क्रियान्वयन करते हैं। इस बार की आबकारी नीति बनाने में दो अधिकारियों का ही नाम लिया जा रहा है, जिन्हें विभाग के इस काम का कोई जमीनी अनुभव नहीं है। आबकारी आयुक्त एवं अधीनस्थ अधिकारियों में भी तालमेल नहीं है। अब तक नीति विषयक चर्चा लाइसेंसधारियों और अधिकारियों से नहीं की गई। सामान्य रूप से जनवरी माह के दूसरे सप्ताह तक नीति आ जाती है व कार्यक्रम जारी हो जाता है। इस वर्ष देरी होने से टेंडर के चरणों में कटौती करने के कारण राजस्व का नुकसान होगा।

डॉ. रामगुलाम की दो पुस्तकों का विमोचन

इंदौर। विश्व पुस्तक मेले में डॉ. रामगुलाम राजदान की दो पुस्तकों ड्रग एब्यूज ऑफ इंडिया और अनसाउंड माइंट और परिचर्चा का विमोचन ललित किशोर मंडोरा (संपादक नेशनल बुक ट्रस्ट), सुशील कुमार स्वतंत्र (संपादक स्वतंत्र प्रकाशन), गिरीश पंकज (वरिष्ठ साहित्यकार), सुभाष चंदर व्यंग्यकार ने किया। कार्यक्रम में डॉ. राजदान ने बताया कि उन्होंने प्रथम पुस्तक अनसाउंड माइंड इसलिए लिखी कि पाठक विकृत मन और मन के विकारों को आसानी से समझ सकें। अतिथियों ने कहा कि इस किताब की अत्यंत आवश्यकता है और यह पुस्तक मनोरोगियों के लिए वरदान साबित होगी। दूसरी नशीले पदार्थों के बारे में समग्र पुस्तक है।

धोखाधड़ी के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

कृषि भूमि का कब्जा कर किया था खुर्दबुर्द

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

कृषि भूमि का कब्जा कर खुर्दबुर्द करने के मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी ने जमानत का लाभ लेने सरपंच होने का हवाला दिया था, लेकिन पुलिस और फरियादी की आपत्ति के बाद कोर्ट ने उक्त निर्णय लिया।

मामला सांवेर तहसील के चंद्रावतीगंज थाने का है। फरियादी ने बताया कि फारूख पिता मुंशी पटेल निवासी खतेड़िया ने अपने पद का प्रभाव जताते हुए ध्रुव कुमार पिता सीताराम हरियाखेड़ी, शौकत पिता गुलजी निवासी रुद्राख्या तहसील देपालपुर, मांगीलाल पिता लालजी निवासी ग्राम कंकड़ तहसील बड़नगर के साथ मिलकर 0.158 हैक्टेयर भूमि हथिया ली थी। कुछ साल बाद इस जमीन को मात्र एक लाख रुपए में बेच दिया था। मामले में चंद्रावतीगंज पुलिस ने 23 जनवरी, 2025 को आरोपी पर धारा 406, धारा 420 का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की थी। कई दिनों तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। इसी बीच 5 फरवरी को आरोपी ने सांवेर कोर्ट में आवेदन लगाया था। अपर सत्र न्यायाधीश आशीष टांकले ने जमानत याचिका निरस्त कर दी।

रिवॉल्वर से धमकाया

उधर, फारूख ने सांवेर थाने में लिखित आवेदन दिया। इसमें कहा कि 6 फरवरी को वह घर पर था, तभी ग्राम रुद्राख्या का रहने वाला शाहरूख पिता मुश्ताक आया और जमीन को लेकर धमकाने लगा। इसी बीच रिवॉल्वर निकालकर कहा कि मामले में निबटारा नहीं किया तो गोली से उड़ा दूंगा।

> लिखित आवेदन आया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आरोपी फारूख की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की है। शीघ्र पकड़ लिया जाएगा।
>
> - हितिका वासल, पुलिस अधीक्षक।

मंत्री सिलावट ने जोन-17 में किया विकास कार्यों के लिए भूमिपूजन

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
editor@peoplessamachar.co.in

विकास के लिए जल संसाधन मंत्री सिलावट ने किया भूमिपूजन व लोकार्पण।

जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि इंदौर प्रदेश का ही नहीं, अपितु देश का अग्रणी शहर बन रहा है। यहां समस्त नागरिक सुविधाएं सुलभ हैं और सम्पूर्ण इंदौर का चहुंमुखी विकास किया जा रहा है। मंत्री सिलावट आज सांवेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इंदौर नगर निगम के जोन-17 में विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण कर रहे थे।

जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सांवेर विधानसभा में झोन-17 के वार्ड नम्बर 19 के अंतर्गत जनकार्य एवं ड्रेनेज विभाग के कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया, जिसमें जनकार्य एवं ड्रेनेज विभाग के 6 कार्यों का भूमिपूजन किया गया, जिनकी कुल लागत 4 करोड़ 17 लाख 23 हजार 956 रुपए है।

भूमिपूजन कार्यों में झोन-17 के वार्ड नंबर 19 में 21 लाख 54 हजार 620 रुपए की लागत से कुमेड़ी के रवि रावल के घर के पास से फायर स्टेशन तक सीमेंट रोड का निर्माण, 72 लाख 4 हजार 116 रुपए की लागत से मानसिंह गहलोत के घर से मुक्तिधाम तक के क्षतिग्रस्त सड़क का सीमेंट कंक्रीट करना, 49 लाख 99 हजार 932 रुपए की लागत से ग्राम कमेड़ी में शासकीय स्कूल के सामने निगम/ शासकीय भूमि पर सामुदायिक भवन का निर्माण, एक करोड़ 66 लाख 95 हजार 78 रुपए की लागत से वार्ड क्रमांक 19 में करोल बाग से प्रीमियम पार्क को जोड़ने वाली क्षतिग्रस्त लिंक मार्ग का सीमेंट कांक्रीट रोड का निर्माण, 74 लाख 44 हजार 882 रुपए की लागत से ग्राम कमेड़ी गांव में स्थित निर्वाण होटल के सामने से पुलिया तक वर्षा के पानी की निकासी हेतु स्टॉर्म वाटर लाइन डालना तथा 29 लाख 89 हजार 328 रुपए की लागत से वार्ड नंबर 19 में ही स्थित कुमेंडी काकड़ फायर स्टेशन के सामने आंगनवाड़ी के पास सुलभ कॉम्प्लेक्स के आगे, एमआर-10 की तरफ बस्ती में नरवल काकड़, मुकाली वाटर सप्लाई के सामने नई सीवरेज लाइन डालना आदि प्रस्तावित कार्यों का भूमिपूजन किया गया।

एयरबैग ने बचाई जान

इंदौर। लसूड़िया थाना क्षेत्र में दो गाड़ियां आपस में टकरा गईं। टक्कर लगते ही कारों के एयरबैग खुल गए, जिससे दुर्घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। दरअसल तेज रफ्तार कार, जो देवास नाका से विजयनगर तरफ जा रही थी... वह ट्रक को ओवरटेक करने में पीछे से टकराई और उछलकर दूसरी लेन से आ रही स्विफ्ट कार में जा घुसी।

Name Correction

I Hereby declare that, my correct name is Bharat Kumar Jain , which has written in my all of documents also. But in my son's (Avi Jain and Arav Jain) school's documents and some of other documents like birth certificate etc. my name has written Bharat Jain, in which my middle name is missing or not written. Henceforth in my son's all documents my right name will be written and read Bharat Kumar Jain for all purposes.

Bharat Kumar Jain
10 Gumasta Nagar, Pramila Hospital, Sethi Gate Ke Samne, Indore M.P.

Notice Inviting Tender (NIT)

SHRI HUKUMCHAND YADAV GOVT. NEW MODEL DEGREE COLLEGE KHANDWA (M.P.)

NIT No. 27 /2025 // e-TENDER NOTICE // Date: 30-01-2025

Shri Hukumchand Yaday Govt. New Model Degree College Khandwa (M.P.)

Supply and Installation of Miscellaneous Items

Cost of tender document (Tender Fee 1000/-) is non-refundable and cannot be exempted in any condition & must submit through website https://mptenders.gov.in/

1. Tender document can be down loaded from the website of institute www.snpgcollegekhandwa.in
2. Bids shall be submitted on line only at MP Tenders website https://mptenders.gov.in/
3. Schedule.

Key dates

Published Date	31-01-2025 Time 17:30
Bid Document Download Start Date	31-01-2025 Time 18:00
Bid Submission Start Date	31-01-2025 Time 18:00
Bid Submission End Date	21-02-2025 Time 17:30
Bid Opening Date	24-02-2025 Time 12:00

जी-22819/24
" बच्चों की मुस्कान है अनमोल, इसे सुरक्षित रखें हर हाल "

Principal, Shri Hukumchand Yadav Govt. New Model Degree College Khandwa (M.P.)

महिलाओं ने ली इंदौर को आठवीं बार नंबर वन बनाने की शपथ

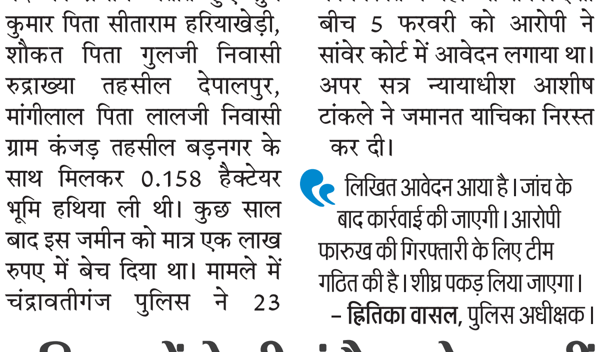

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
editor@peoplessamachar.co.in

श्रीगौड़ ब्राह्मण युवा परिषद् महिला प्रकोष्ठ द्वारा इंदौर प्रेस क्लब परिसर में पारिवारिक सामूहिक हल्दी-कुंकुम और महिला एकता सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं और समाजजन ने स्वच्छता में इंदौर को आठवीं बार नंबर वन बनाने और बिजली की बचत करने की शपथ ली।

संस्थापक पं. आदित्य उपाध्याय, महिला प्रदेश अध्यक्ष रंजना पाठक और अमृता जोशी ने बताया कि महिलाओं ने एक-दूसरे को सामूहिक हल्दी-कुंकुम लगाकर भारतीय परंपरा को बनाए रखा। भारती जमींदार और प्रेमा पंडित ने बताया कि मुख्य अतिथि सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि ब्राह्मण समाज की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आकर आत्मनिर्भर हो रही हैं।

ऐश्वर्या जोशी, शीतल व्यास और अर्चना उपाध्याय ने बताया कि महापौर प्रतिनिधि भारत पारख ने इंदौर को स्वच्छता में नंबर वन बनाने और बिजली बचत करने की शपथ समाजजन को दिलवाई। महिला एकता सम्मेलन में इंदौर, रतलाम, देवास, उज्जैन, धार, बड़वानी सहित कई जिलों के सामाजिक प्रतिनिधि मौजूद रहे।

ICICI Home Finance | कार्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई होम फायनेंस कंपनी लिमिटेड आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400059, भारत

शाखा कार्यालय : तृतीय तल, प्लॉट नं. 95-सी, सेक्टर 3, वैशाली नगर कॉलोनी, आईसीआईसीआई बैंक के सामने, गोपुर स्क्वायर, गोपुर स्क्वायर, इंदौर 452002

निजी संधि के माध्यम से अचल संपत्ति की बिक्री हेतु सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निजी संधि के माध्यम से अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) 2002 नियमों के नियम 8(8) आर/डब्ल्यू नियम 9 (1) के साथ पठित,

आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईसीआईसीआई एचएफसी) ने नीचे उल्लिखित गिरवी संपत्ति की बिक्री के लिए कई नीलामी आयोजित कीं, हालांकि, ऐसी सभी ई-नीलामी विफल रहीं। अब, एक इच्छुक खरीदार ने उक्त संपत्ति को रुपये 46,00,000/- की राशि में खरीदने की पेशकश के साथ आईसीआईसीआई एचएफसी से संपर्क किया है। आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका कब्जा आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, यहां दिए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार निजी संधि के माध्यम से "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" पर बेचा जाएगा। ;

क्रमांक	ऋणी का नाम/सह ऋणी/गारंटर/कानूनी वारिस/ऋण खाता संख्या	सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण, यदि कोई हो	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / बयाना जमा	संपत्ति निरीक्षण का तिथि व समय	नीलामी की तिथि और समय	एक दिन पूर्व नीलामी दिनांक	सरफेसी स्टेज
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)
1.	राजेन्द्र कुमार गर्ग (ऋणकर्ता) संध्या गर्ग (सह-ऋणकर्ता) कुशल गर्ग (सह-ऋणकर्ता) ऋण खाता नं. LHDMN00001278049 NHIND00001320780	सर्वेक्षण क्रमांक 98/9 का भाग, ग्राम गुलझरा, तहसील धामपुरी, धार, मध्य प्रदेश-454552	Rs. 2,09,07,602/- जनवरी 21, 2025	Rs. 46,00,000/- / Rs. 4,60,000/-	फरवरी 18, 2025 11:00 AM 03:00 PM	फरवरी 25, 2025 02:00 PM 03:00 PM	फरवरी 24, 2025 before 04:00 PM	भौतिक कब्जा

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी मेटेक्स नेट प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट (https://assets.matexauctions.com) पर आयोजित की जाएगी। संभावित बोलीदाता(ओं) को बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/ डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम ई देखें) लेख के शीर्ष पर उल्लिखित आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय के पते पर 24 फरवरी 2025 को शाम 04 :00 बजे से पहले या उससे पहले जमा करना होगा। संभावित बोलीदाता(ओं) को पंजीकरण फॉर्म और बोली नियम व शर्तों के फॉर्म की हस्ताक्षरित प्रति भी लेख के शीर्ष पर उल्लिखित आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय के पते पर 25 फरवरी 2025 को शाम 05 :00 बजे से पहले जमा करनी होगी। बयाना राशि जमा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से "आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड-नीलामी" के पक्ष में लेखा के शीर्ष पर उल्लेखित शाखा कार्यालय में देय होना चाहिए।

आम जनता से अनुरोध है कि वे ऊपर उल्लिखित इच्छुक खरीदार द्वारा पेश की जा रही राशि से अधिक की अपनी बोलियां प्रस्तुत करें। इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि यदि आईसीआईसीआई एचएफसी द्वारा उपर्युक्त इच्छुक खरीदार द्वारा पेश की जा रही राशि से अधिक की कोई बोली प्राप्त नहीं होती है, तो बंधक संपत्ति को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 (1) के साथ नियम 8(8) के अनुसार उक्त इच्छुक खरीदार को बेच दिया जाएगा।

निरीक्षण, बिक्री या बोलियों के प्रस्तुतीकरण के नियमों और शर्तों के संबंध में किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए, कृपया आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 9920807300 पर संपर्क करें।

प्राधिकृत अधिकारी बिना किसी अन्य कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://www.icicihfc.com पर जाएं।

दिनांक : 10 फरवरी 2025
स्थान : धार

प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फायनेंस कंपनी लिमिटेड
CIN Number U65922MH1999PLC120106

Chola Enter a better life

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
कार्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सी 54 एवं 55, सुपर बी-4, थिरु वी का इंडस्ट्रीयल एस्टेट, गुइंडी, चेन्नई-600 032
शाखा कार्यालयः- दूसरी मंजिल, शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑप बैंक के ऊपर, प्लॉट नं.37, घाटकर्पर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन (एमपी)-456001

[नियम 8 (1)] कब्जे का नोटिस [अचल संपत्ति के लिए]

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा, मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित [प्रवर्तन] नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13[12] के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋणकर्ताओं, जिनके नाम नीचे कॉलम [बी] में दर्शाए गए हैं, को कॉलम [सी] में निर्दिष्ट तारीखों पर उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर ब्याज सहित नीचे कॉलम [डी] में दर्शाई गई बकाया राशि चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किए हैं।

उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, विशेष रूप से उधारकर्ताओ और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13[4] के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसके तहत बनाए गए नियमों के नियम 8 के साथ मिलकर कॉलम [ई] में उल्लिखित संबंधित तारीखों को कॉलम में नीचे वर्णित कंपनी के पास बंधक संपत्तियों का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओ और आम जनता को इसके द्वारा नीचे उल्लिखित संपत्तियों का लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और ऐसा कोई भी व्यवहार मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के कॉलम [डी] में उल्लिखित राशि के साथ ब्याज और अन्य शुल्कों के अधीन होगा। प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13[8] के तहत, उधारकर्ता बिक्री की अधिसूचना से पहले सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों सहित पूरे बकाया का भुगतान करके सुरक्षित संपत्ति को भुना सकते हैं।

स.क्र.	उधारकर्ता का नाम और पता तथा ऋण खाता संख्या	मांग नोटिस की तिथि	बकाया राशि	कब्जा तारीख
[A]	[B]	[C]	[D]	[E]
1	ऋण खाता संख्याः HE01UJJ00000045377 1. हरीश मांगीलाल मालवीय (आवेदक), प्लॉट नं.53, औद्योगिक क्षेत्र उमरनी नागदा, उज्जैन नागदा, उज्जैन-456335 2. एच.एम. मसाले (सह-आवेदक), प्लॉट नं.53, औद्योगिक क्षेत्र, उमरनी नागदा, उज्जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश-456335 3. मांगीलाल मालवीय (सह-आवेदक), 69/3, अमलावदिया रोड, शांति निकेतन इंदु कॉलोनी के पीछे, नागदा उज्जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश-456335 4. शांतिदेवी (सह-आवेदक), इंदु कॉलोनी के पीछे, अमलावदिया रोड, शांति निकेतन, नागदा उज्जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश-456335 5. उर्मिलामालवीय (सह-आवेदक), 69, 03, वार्ड नं.21, इंदु कॉलोनी, नागदा उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश-456335	12-10-2024	04-10-2024 तक रु.52,34,977/- और उस पर ब्याज	05-02-2025
	अचल संपत्ति का विवरणः वार्ड नं.21 ग्राम पाडल्याकला आराजी सर्वे नं.1186/1, नागदा तहसील, नागदा, मध्य प्रदेश, बेची गई संपत्ति का माप इस प्रकार है - पूर्व से पश्चिम 40 फीट और उत्तर से दक्षिण 45 फीट कुल क्षेत्रफल 1800 वर्ग फीट (167.12 वर्ग मीटर) सीमाएं निम्नानुसार हैंः- पूर्व मेंः आम रास्ता, पश्चिम मेंः गली, उत्तर मेंः अन्य का प्लॉट, दक्षिण मेंः डी.के. शर्मा का प्लॉट			

दिनांक : 10.02.2025
स्थानः नागदा

हस्ते/-(प्राधिकृत अधिकारी),
मे. चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड